



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

पत्रांक 3152 / निदेश(परि०)/उपाकालि/ 11-20

दिनांक 27/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1827/अधि०निदेश(मा०सं०)/उपाकालि/ दिनांक 25.04.2025 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के आलोक में एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में अधोनामित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित उनकी वर्तमान तैनाती के कार्यभार में से स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यभार/कार्यालय से अवमुक्त एवं स्तम्भ-5 में उल्लिखित अतिरिक्त कार्यभार/कार्यालय प्रदान करते हुए तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	अवमुक्त कार्यभार	अतिरिक्त कार्यभार
-01-	-02-	-03-	-04-	-05-
1.	श्री एस०डी०एस० बिष्ट, अधिशासी अभियन्ता	1) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देहरादून(उत्तर)। 2) अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०बी० परियोजना, लॉट-1 3) अधिशासी अभियन्ता(परियोजना), ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, देहरादून।	अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०बी० परियोजना, लॉट-1	-
2.	श्री अरुण कान्त	1) अधिशासी अभियन्ता(सम्बद्ध), निदेशक(परियोजना) एवं ए०डी०बी०(भुगतान इकाई), उपाकालि। 2) अधिशासी अभियन्ता(सतर्कता), गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून। 3) अधिशासी अभियन्ता(मानव संसाधन), लोक सूचना अधिकारी, उपाकालि।	-	अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०बी० परियोजना, लॉट-1

यह भी अदेशित किया जाता है कि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वे संबंधित स्थानान्तरित अधिकारी को एक दिवस के भीतर कार्यमुक्त करेंगे। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अधिकारी एक दिवस की समाप्ति पर स्वतः ही कार्यमुक्त मान लिये जायेंगे एवं संबंधित नियंत्रक अधिकारी इस संबंध में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब अधिशासी निदेशक(मा०सं०) कार्यालय के साथ-साथ इस कार्यालय को अनुपालन आख्या(कार्यमुक्त व कार्य भार ग्रहण प्रमाणक) प्रेषित करेंगे।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

पत्रांक 3152 / निदेश(परि०)/उपाकालि/

निदेशक(परिचालन)

तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि।
2. निदेशक(परियोजना/वित्त), उपाकालि।
3. अधिशासी निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता(परियोजना), उपाकालि।
6. महाप्रबन्धक(वित्त) वेतन एवं भत्ते, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता(ए०डी०बी०), उपाकालि।
8. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. सम्बन्धित अधिकारी।

(एम०ओ० आर०)
निदेशक(परिचालन)